

4/19  
21/4/19

**प्रारूप सात**  
**(नियम 11 देखिए)**

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र।

1. सोसायटी का नाम और पूरा पता - श्रीराम आदर्श शिक्षा समिति, शहीद वार्ड कटंगी रोड सिवनी, जिला सिवनी 480661
2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख जे.एस. 499 दिनांक 09/07/1991
3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मेलन की तारीख - .....30/11/18.....
4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची- कार्यकाल तारीख 30/06/2018 से 29/06/2021 तक

अनु. क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
01	डॉ. के.के. चतुर्वेदी	श्री डी.पी. चतुर्वेदी	सी.एच. रमन वार्ड बारापत्थर सिवनी	आयुक्त	शैक्षणिक	
02	श्रीमती मीना मिश्रा	श्री पुरुषोत्तम	सिविल लाइन वारासिवनी	उपाध्यक्ष	गृहणी	
03	श्री अजय कुमार	श्री दुर्गाप्रसाद	शहीद वार्ड कटंगी नाका सिवनी	सचिव	कानूनी	
04	श्री पुरुषोत्तम मिश्रा	श्री रामदयाल मिश्रा	वारासिवनी	सहसचिव/संयुक्त सचिव	अधिवक्ता	
05	श्री हर्ष कुमार	श्री दुर्गाप्रसाद	मण्डला रोड हूण्डा सिवनी चौक	कोषाध्यक्ष	शैक्षणिक	
06	श्री रामकुमार चतुर्वेदी	श्री डी.पी. चतुर्वेदी	गांधी वार्ड सिवनी	सदस्य	अधिवक्ता	
07	श्री दीपेन्द्र मिश्रा	श्री पुरुषोत्तम मिश्रा	वारासिवनी	सदस्य	अधिवक्ता	

5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन 4500/... की वार्षिक फीस, चालान क्रमांक 10/11/18 दिनांक 01/11/18 के द्वारा जमा कर दी गई है, उसकी मूल प्रतिसंलग्न है मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि।

मैं डॉ. के.के. चतुर्वेदी पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री डी.पी. चतुर्वेदी आयु लगभग 53 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपयुक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझ अद्योहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी रहूंगा।

**S. K. Tiwari**  
Assistant Registrar  
Firms & Society  
Jabalpur Division, Jabalpur

अध्यक्ष/सचिव  
श्रीराम आदर्श शिक्षा समिति  
सिवनी (म.प्र.)